न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प भूणास

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 38/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111– 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. सुगनी पत्नि शम्भुलाल ढोली (दमामी) निवासी बाटीखेड़ा, भुणास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

––प्रार्थीया

बनाम

1. तुलछी बेवा दल्ला गाडरी निवासी भुणास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. नंदराम आत्मज दल्ला गाडरी निवासी भुणास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. रघुनाथ आत्मज दल्ला गाडरी निवासी भुणास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
4. मांगी पुत्री दल्ला गाडरी निवासी भुणास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
5. सोहनी पुत्री दल्ला गाडरी निवासी भुणास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
6. ज्वारा आत्मज उदा गाडरी निवासी भुणास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
7. मुरलीधर आत्मज रामेश्वर शर्मा निवासी भुणास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

––विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–18.06.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम रामदेवनगर पटवार क्षेत्र भुणास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या 208 में आराजी संख्या 837/3121 रकबा 0.08 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया जिनमें से विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस की गई।

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रामदेवनगर पटवार क्षेत्र भुणास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या 208 में आराजी संख्या 837/3121 रकबा 0.08 है0 भूमि स्थित है। **बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीअदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प भूणास में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)